लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषयः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (जमीरापाट बाक्साईट माईन), ग्राम–जमीरापाट तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक– 2188, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल–114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि–107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि–6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–91,438.03 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता–49,235.86 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22/12/2022, दिन–गुरूवार, पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान– पूर्व माध्यमिक शाला, जमीरापाट का प्रांगण, तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (जमीरापाट बाक्साईट माईन), ग्राम–जमीरापाट तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक– 2188, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल–114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि–107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि–6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–91,438.03 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता–49,235.86 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0), कुसमी, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर, अपर कलेक्टर, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.) परियोजना प्रस्तावक श्री पी.एस. यादव, मुख्य महाप्रबंधक एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय, डी.जी.एम माईनिंग तथा परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार/प्रतिनिधि डॉ. नफीज अहमद, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट, श्री सुशील नायक, अतिरिक्त एस.पी., बलरामपुर, श्री डी.के. सिंह, एस.डी.ओ.पी., कुसमी एवं सम्मानीय जन प्रतिनिधि तथा आसपास के गणमान्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में तारीख 22/12/2022, दिन–गुरूवार, पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–पूर्व माध्यमिक शाला, जमीरापाट का प्रांगण, तह.– कुसमी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) में लोक सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन के साथ समय लगभग 11:00 बजे से लोकसुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई। लोक सुनवाई के प्रक्रिया

के दौरान आरम्भ से समाप्ति तक लगभग 900 जनसामान्य उपस्थित हुए। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रारंभ के साथ ही उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लोक सुनवाई के दौरान मास्क का उपयोग किया जाना व समय–समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करने बावत् अनुरोध किया गया। साथ ही ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के तहत् आवेदक द्वारा किये गये आवेदन, परियोजना से संबंधित रखे गये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, समरी तथा लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन की जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया कि मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (जमीरापाट बाक्साईट माईन), ग्राम–जमीरापाट तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–2188, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल–114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि–107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि–6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–91,438.03 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता–49,235.86 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति, छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा टी.ओ.आर. जारी दिनांक **दिनांक 11/10/2022** के परिपालन में खदान प्रबंधन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया, खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक **03/11/2022** के परिपेक्ष्य में मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक **04/11/2022** के माध्यम से उक्त खदान की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज के पत्र दिनांक **16/11/2022** के द्वारा परियोजना की लोकसुनवाई की तारीख 22/12/2022 को स्थान–पूर्व माध्यमिक शाला, जमीरापाट का प्रांगण, तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई। परियोजना की ड्राफ्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की प्रतियां तथा सीडी सहित अवलोकनार्थ डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली,

साईंटिस्ट 'डी', एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.),कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.), अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुसमी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.),कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.), उपसंचालक/खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बलरामपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.), सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–जमीरापाट, तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी। लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 19/11/2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'अमृत इंडिया' के दिल्ली संस्करण एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'नवभारत' के बिलासपुर संस्करण में परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय देते हुए "सर्व संबंधितों को सूचना" का प्रकाशन कराया गया। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को भी प्रेषित की गई।

2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0), कुसमी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया।
3. परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. नफीज अहमद, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट, परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा परियोजना के संबंध में सर्वसंबंधितों को प्रस्तुतीकरण की प्रतियां दी गई तथा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई :–

• यह जनसुनवाई ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (जमीरापाट बाक्साईट माईन), ग्राम–जमीरापाट, तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर–

रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक– 2188, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल–114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि–107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि–6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–91,438.03 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता–49,235.86 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वकृति के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा आयोजित की गयी है।

- **परियोजना प्रस्तावक कंपनी**
- छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएमडीसी) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 7-6-2001 को किया गया है।
- सीएमडीसी छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है तथा सीएमडीसी में 100% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ शासन की है।
- कंपनी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य गौण खनिजों तथा कीमती पत्थरों की खोज करना और खनिजों के अन्वेषण दोहन और खानों के विकास के लिए खनन अधिकार प्राप्त करना है।
- वर्तमान में सीएमडीसी बॉक्साइट लौह अयस्क, टिन में काम कर रही है और कोयले में काम करने की योजना बना रही है। सीएमडीसी स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से काम कर रहा है।
- सीएमडीसी द्वारा बैलाडिला लौह अयस्क डिपाजिट क्रमांक 1, 3, 8, 4, 13 के लौह अयस्क के खनन के लिए एवं सरायपाली क्षेत्र जिला महासमुंद में बेलमुंडी हीरा खनन की योजना है। इन क्षेत्रों का विकास एनएमडीसी के साथ किया जा रहा है।
- **प्रोजेक्ट बैकग्राउंड**
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिला बलरामपुर के ग्राम जमीरापाट में 114.009 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज बाक्साइट का खननपट्टा स्वीकृत करने हेतु पत्रांक एफ 3- 9/2021/12, दिनांक 12.01.2022 नवा रायपुर द्वारा आशय पत्र प्रदान किया गया है।
- खननपट्टा क्षेत्र में 114.009 हेक्टेयर 107.315 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 6.694 हेक्टेयर शासकीय भूमि शामिल है। खननपट्टा क्षेत्र 114.009 हेक्टेयर वर्तमान भूमि उपयोग वर्षा आधारित कृषि और शासकीय बंजर भूमि है।
- बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रस्तावित 114.009 हेक्टेयर सेमी-मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट खनन क्षेत्र में 1,40,673.89 टीपीए बॉक्साइट की उत्पादन क्षमता। लगभग 3,58,534.51m^3 OB, 35,670.74m^3 ऊपरी मिट्टी और 49,235.86 m^3 खनिज अपशिष्ट उत्पन्न होगा। खनन योजना को IBM द्वारा 28.04.2022 को अनुमोदित किया गया है।
- प्रस्तावित परियोजना एक ओपनकास्ट बॉक्साइट (प्रमुख) परियोजना है और इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयए नई दिल्ली द्वारा "श्रेणी बी" के रूप में

वर्गीकृत किया गया है। परियोजना को एसईआईएए छत्तीसगढ़ से पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना में वन भूमि की कोई भागीदारी नहीं है और परियोजना स्थल किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है।

- कोर जोन (खनन पट्टा क्षेत्र) और बफर जोन (कोर जोन के आसपास 10 किमी) को कवर करने वाले अध्ययन क्षेत्र के भीतर गर्मी के मौसम में मार्च 2022 से जून 2022 के दौरान बेसलाइन पर्यावरणीय निगरानी की गई है।
- **परियोजना संक्षेप**

विवरण	व्याख्या
भूमि का प्रकार	निजी भूमि = 107.315 हे शासकीय गैर-वन भूमि 6.694 हे0 कुल भूमि =114.009 हे
उत्पादन क्षमता	परियोजना में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रस्तावित 114.009 हेक्टेयर सेमी-मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट खनन क्षेत्र में 1,40,673.89 टीपीए बॉक्साइट की उत्पादन क्षमता। लगभग 3,58,534.51m^3 **OB, 35670.74m^3** ऊपरी मिट्टी और 49,235.86 **m3** खनिज अपशिष्ट उत्पन्न होगा।
खनन पद्धति	सेमी मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट माइनिंग
काम करने की अधिकतम गहराई	**11m**
भूगर्भीय रिजर्व	**27,89,732.79** टन
खनन योग्य रिजर्व	**26,96,597.418** टन
खदान का अनुमानित जीवन	बॉक्साइट का खनन योग्य भंडार **+40% Al2O3** पर **26,96,597.418** टन होगा। पहले पांच वर्षों के दौरान अधिकतम प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन दर **1,40,673.89** टन होगी, इसलिए खदान का अनुमानित जीवन लगभग **19** वर्ष होगा, प्रस्तावित अन्वेषण पूरा होने के बाद खदान का जीवन बढ़ने की संभावना होगी।
जनशक्ति की आवश्यकता	**83 Nos.**
पानी की आवश्यकता	**6.0 KLD**
अनुमानित परियोजना पूंजी लागत	**Rs. 12** करोड़

पूर्व खनन भूमि उपयोग

गांव	तहसील	क्षेत्र (Ha)	भूमि का प्रकार
जमीरापाट	कुसमी	**107.315**	निजी भूमि
जमीरापाट	कुसमी	**6.694**	शासकीय भूमि
कुल		**114.009**	--

- कुल 6.694 हेक्टेयर प्रस्तावित खनिपट्टा क्षेत्र में बंजर/ बंजर भूमि है जिसमें झाड़ियाँ हैं और 107.315 हेक्टेयर भूमि कृषि/फसल भूमि के अंतर्गत है। कोई वन भूमि शामिल नहीं है।
- परियोजना में झोपड़ियों/मकानों/संरचनाओं के विस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

- **खनन उपरांत भूमि उपयोग**

खनन के बाद का उपयोग	क्षेत्र (Ha)
उत्खनन द्वारा ह्रास	71.40
डंप और मटेरियल स्टेकिंग द्वारा गिरावट	0.00
पौधों और भवनों के अंतर्गत कवर किया गया	0.00
सड़कों और पहुंच मार्गो से आच्छादित	0.00
कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	42.60
कुल	114.009

प्रस्तावित खनन पद्धति

- खनन प्रचालन "सेमी मैकेनाइज्ड" श्रेणी में ओपन कास्ट माइनिंग पद्धति है।
- काम सिंगल शिफ्ट में होगा।
- हार्ड ओवरबर्डन और अयस्क बेंच को ढीला करने के लिए आवश्यक ब्लास्टिंग के लिए डीटीएच ड्रिल द्वारा 3 से 4 मीटर गहराई के विस्फोट छेद ड्रिल किए जाएंगे।
- शीर्ष मिट्टी को अलग से डोजर, या खुदाई करने वाले डम्पर संयोजन द्वारा अलग किया जाता है और अस्थायी रूप से पहले से ही बैकफिल्ड और समतल क्षेत्र में फैलाने के लिए संग्रहीत किया जाता है।
- हार्ड ओवरबर्डन को ड्रिल किया जाएगा, ढीला करने के लिए ब्लास्ट किया जाएगा और एक्सकेवेटर डम्पर कॉम्बिनेशन द्वारा खनन किए गए क्षेत्र को बैकफिल करने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। ओवरबर्डन को हटाने के बाद, **40% Al2O3** से ऊपर के ग्रेड वाले उजागर अयस्क क्षेत्र की खुदाई की जाएगी।
- विस्फोटित अयस्क की साइजिंग एवं छंटाई वर्किंग फेस पर ही की जाएगी ।
- तत्पश्चात वांछित प्लांट फीड ग्रेड के सॉर्ट किए गए आकार के बॉक्साइट का प्रेषण किया जाएगा।

- प्रस्तावित उत्पादन अनुसूची
- पहले 5 वर्षों के लिए (आंकड़े टन में)

Sr. No	Year	Total Handling (t)	Waste Quantity (t)	ROM Quantity (t)	ROM Quantity Saleable Mineral (t)	ROM Quantity Mineral Reject (t)	OB to Ore Ratio (Waste Quantity/ROM Quantity)	Grade Range (%)
1	Year 1	First Year Exploratory Borehole proposed						
2	Year 2	639076.21	538159.43	100916.78	65595.9	35320.88	1:4.98	Cutoff Grade Al2O3 40%
3	Year 3	723863.44	607631.33	116232.11	75550.87	40681.24	1:5.23	
4	Year 4	585794.4	455084.62	130709.78	84961.36	45748.42	1:3.31	
5	Year 5	965303.28	824629.39	140673.89	91438.03	49235.86	1:5.51	

संकल्पनात्मक अवधि

वर्ष के अंत में प्रस्तावित उत्पादन दर समान 1,40,673.89 टीपीए होगी।

- **अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन**
- **ऊपरी मिट्टी**

मिट्टी का एक पतला से मोटा आवरण लैटेराइट के ऊपर होता है। मानसून के महीनों के दौरान इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयोग किया जाता है।

- **अपशिष्ट**

बॉक्साइट क्षेत्र से कुल उत्खनन से लगभग 65% बॉक्साइट अयस्क की रिकवरी की उम्मीद है और शेष 35% को खनिज अपशिष्ट माना जाएगा और इसे खनन किए गए गड्ढे में पुनर्भरण किया जायेगा।

- **खनिज अस्वीकृत**

बॉक्साइट अयस्क के साथ अस्वीकृत खनिज के सम्मिश्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

- **बैकफिलिंग**

उत्खनित भूमि को पूरे बॉक्साइट अयस्क के निष्कर्षण के बाद उत्पन्न कचरे और ओबी के माध्यम से उसी तरह से वापस भर दिया जाएगा। बैकफिलिंग उसी क्रम में की जाएगी जैसे यह प्रकृति में पाई जाती है, यानी नीचे में ओवरबर्डन, फिर ऊपर की मिट्टी। ऊपरी मिट्टी को पीछे भरे हुए क्षेत्र में फैलाया जाएगा।

- **बैकफिल्ड क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र:**

बैकफिलिंग के बाद भूमि को समतल किया जाएगा। पहले पांच वर्षों के दौरान, लगभग 5.262 हेक्टेयर क्षेत्र को खनन गड्ढे के रूप में कवर किया जाएगा, इसमें से लगभग 4.272 हेक्टेयर क्षेत्र को ओबी से भर दिया जाएगा।

खदान के जीवन काल तक लगभग 22.90 हेक्टेयर क्षेत्र को गड्ढे के रूप में ढका जाएगा और इसमें से लगभग 22.90 हेक्टेयर क्षेत्र को ओबी और अपशिष्ट से भर दिया जाएगा और 21.323 हेक्टेयर क्षेत्र को अबाधित रखा जाएगा। जल पुनर्भरण तालाब के रूप में उपचारित करने के लिए किसी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र में कृषि भूमि शामिल है, और सरकारी भूमि खरीद अधिनियम के अनुसार भूमि को कृषि योग्य बनाकर सम्बंधित भू–स्वामियों को वापस कर दिया जायेगा।

मॉनिटरिंग स्टेशन

क्र.सं.	क्षेत्र विवरण	खनन पट्टा क्षेत्र से दूरी	खनन पट्टा क्षेत्र से दिशा	आवृत्ति
1.	परियोजना स्थल (जमीरापाट गांव)	-	-	एक बार अध्ययन अवधि के दौरान समग्र नमूनाकरण के रूप में
2.	सिरकोट गलफुला नदी के पास	1.12	दक्षिण	
3.	डुमरापाट	1	उत्तर	
4.	गुदराडीह पीएफ के पास	0.8	पश्चिम	
5.	रामनगर गांव	5.5	दक्षिण	
6.	खजरी पीएफ के पास	7.5	पूर्व	
7.	ग्राम सुपढाका	8.8	पश्चिम	
8.	ग्राम अमटाही	6.8	उत्तर, अंतर्राज्यीय सीमा के पास	

वायु पर्यावरण

- अध्ययन क्षेत्र की परिवेशी वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन 7 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से किया गया था, जिसमें खान पट्टा क्षेत्र सहित पूरे अध्ययन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम एक निगरानी स्थान डाउनविंड और एक अप विंड डायरेक्शन में था।
- निगरानी किए गए पैरामीटर पीएम10, पीएम2.5, सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) और मुक्त सिलिका थे। इन मापदंडों का चयन एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों और एसईएसी, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी टीओआर के आधार पर किया गया था।

- हवा के नमूनों के विश्लेषण पर आधारित अध्ययन से पता चलता है कि चूंकि यह खदान काम नहीं कर रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी कम है, गांव में आबादी अधिक नहीं है। बेसलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता **NAAQS** की अनुमेय सीमा के भीतर पाई गई।

शोर पर्यावरण

- प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास 7 स्थानों पर परिवेशी ध्वनि स्तरों का मापन किया गया। आमतौर पर, सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों और सामुदायिक हॉल में दिन के समय शोर का स्तर अधिक होता है। दिन के समय शोर का स्तर 49.6 **Leq dB(A)** (रामनगर) से 62.4 **Leq dB(A)** (जमीरापाट के पास खदान स्थल) और रात के समय में 34.8 **Leq dB(A)** (रामनगर) से 56.2 तक होता है। **Leq dB(A)** (गाँव के पास खदान स्थल)। इस प्रकार सभी स्थानों पर ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया। यह निष्कर्ष निकालता है कि अध्ययन क्षेत्र में शोर का स्तर सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

जल पर्यावरण

भूजल

- प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास 7 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता मापी गई। सभी स्रोतों से भू-जल पीने के लिए उपयुक्त है क्योंकि सभी घटक भारतीय मानक आईएस: 10500 द्वारा प्रख्यापित पेयजल मानकों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं। भूजल के अध्ययन क्षेत्र के विश्लेषण के परिणाम से निम्नलिखित का पता चलता है।
- विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि भूजल के नमूने **GW1, GW2, GW3, GW4** और **GW5** के लिए **pH** 7.32 (खान साइट) से 7.68 (गांव अमताही) के बीच है जो प्रकृति में थोड़ा क्षारीय दर्शाता है।
- टीडीएस (टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स260 मिलीग्राम/ली (खान साइट) से 320 मिलीग्राम/लीटर (गांव अमताही) की सीमा में पाया गया जो कि 2000 **mg/l** की स्वीकार्य सीमा के भीतर है।
- अध्ययन क्षेत्र में समग्र भूजल गुणवत्ता क्लोराइड **48 mg/l** (खान स्थल) से 68 **mg/l** (घुतराडीह गाँव) पाई गई जो परमिसिबल लिमिट **(अनुमेय सीमा)** के भीतर है।
- पोर्टेबल पानी के लिए भूजल स्रोतों में सभी पैरामीटर मान अच्छी तरह से और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परमिसिबल लिमिट **(अनुमेय सीमा)** के भीतर हैं।
- **ऊपरी सतह का पानी**
- सतही जल के नमूने एकत्र किए गए, उनका विश्लेषण किया गया और पीने के पानी के लिए भारतीय मानक 10500:2012 के साथ तुलना की गई, पीएच मान **7.26 to 7.66** पाया गया जो इंगित करता है कि सतही जल प्रकृति में क्षारीय है, टीडीएस **234 mg/l to 410 mg/l** पाया गया।

- यह देखा गया कि क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे अन्य पैरामीटरों के भौतिक-रासायनिक विश्लेषण डिजायरेबल लिमिट (वांछनीय सीमा) के भीतर पाए गए।

- **मिट्टी का वातावरण**

- **प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। मिट्टी के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित दिखाते हैं:**
- **अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी बनावट में मुख्यतः बलुई दोमट मिट्टी है। मिट्टी का पीएच 7.26 (नाला में) से लेकर 7.66 (गल्फुला नदी के दक्षिण में) के बीच है।**
- **कुल कठोरता 126 mg/l (नाला में) से 310 mg/l (बुरहा नाडी डाउनस्ट्रीम) के बीच है। फ्लोराइड की सीमा 0.38 mg/l (नाला और गलफुला नदी के दक्षिण में) से 0.58 mg/l (बुरहा नदी के नीचे की ओर) के बीच है। क्लोराइड की सीमा 38 mg/l (नाला में) से 68 mg/l (बुरहा नाडी डाउनस्ट्रीम) के बीच है।**
- **यह देखा गया कि थोक घनत्व, सरंध्रता और जल धारण क्षमता के मान मिट्टी की बनावट के अनुसार अलग-अलग होते हैं। बनावट के अनुसार मिट्टी का घनत्व निश्चित सीमा में पाया गया, सरंध्रता और जल धारण क्षमता बनावट के अनुसार कम जल धारण क्षमता के बजाय सीमांत सीमा में पाई गई।**

जैविक पर्यावरण

- अध्ययन क्षेत्र के कोर और बफर जोन में वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन किया गया था। यह देखा गया कि बफर जोन में कोई अनुसूचित प्रजाति नहीं पाई गई। खनन गतिविधियों से आसपास के क्षेत्र पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। संबंधित प्राधिकरण के नियमों और विनियमन के अनुसार शमन उपाय (मिटिगेशन मिजर) अपनाया जाएगा।
- कुल 52 प्रजातियां (कोर ज़ोन 31 और बफर ज़ोन 50) 47 जेनेरा के तहत दर्ज की गईं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप के 29 परिवारों से संबंधित हैं।
- जीव सर्वेक्षण के दौरान, अध्ययन क्षेत्र से स्तनधारियों की 16 प्रजातियाँ, सरीसृप की 7 प्रजातियाँ, उभयचरों की 2 प्रजातियाँ और पक्षियों की 32 प्रजातियाँ देखी गई हैं।

4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा कि पर्यावरण जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासी आप सभी से इस परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव या जो भी विचार रखना चाहते हैं वे लिखित में या मौखिक तौर पर आप सुझाव, विचार/अभिमत रख सकते हैं आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं।

5. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
1.	श्री सतेन्द्र कुमार गुप्ता	ग्राम-जमीरापाट	सर मेरा नाम सत्येंद्र कुमार गुप्ता, जमीरापाट का रहने वाला हूं और सर मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, तो एक्चुअल में गांव वाले को पता भी नहीं है, सर। की इसके बारे में की यह कंपनी का क्या उद्देश्य है, काम के प्रति सर, इसके बारे में थोड़ा समझाने का कष्ट करेंगे, सर और कई बार सुनने में आता है, कि रोजगार के अवसर के बारे में भी बताया जाता है, इसका क्या अवसर है बताने का कष्ट करें।
2.	श्री प्रवीण कुमार	ग्राम-जमीरापाट	मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं ग्राम जमीरापाठ का हीं निवासी हूं, सबसे पहले तो मैं मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्लस हमारे जो पंचायत में बेरोजगार है, सबसे पहले यह मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन हमारे पंचायत वासियों को ही अपने प्राथमिकता के आधार पर उसको रोजगार दे, तो इस आधार से में इस कंपनी का स्वागत करता हूं, यहां आमंत्रित करने के लिए प्यासे को पानी चाहिए। भूखे को दाने चाहिए और डेवलपमेंट कंपनी का यहां स्वागत है।
3.	श्री अंकुश सिंह (जनपद पंचायत सदस्य)	ग्राम-जमीरापाट	श्री अंकुश सिंह- सर कोई सूचना नहीं मिला है, हम लोग जिला पंचायत के प्रतिनिधि है कोई सूचना नहीं मिला है। क्षेत्रीय अधिकारी (पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर)- प्रावधान के अनुरुप सर्वसंबंधितों को सूचना दी गई है। श्री अंकुश सिंह- सूचना नहीं मिला है सर कि हमारे पास इतना खाली समय नहीं है कि हम लोग यहां आकर आप लोग को डिस्टर्ब करें, लेकिन सूचना तो मिलना चाहिए। क्षेत्रीय अधिकारी (पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर)- सर आप अपना अभिमत रख सकते है,आपके पूरे अभिमत का वीडियोग्राफी

			हो रहा है, अभिलेखित किया जा रहा है कृपया आप अपना अभिमत रख सकते है। श्री अंकुश सिंह– अपर कलेक्टर साहब ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा,मतलब जनता का प्रतिनिधि होना, अब गलत काम है क्या? सब अधिकारी बैठ कर फैसला कर लेगें तो जनता का क्या होगा, आप ही बता दीजिए, कुछ नियम, कुछ प्रोटोकॉल कुछ भी तो फ्लो करना चाहिए, हमको गांव वाले के माध्यम से सूचना मिल रहा है कि जन सुनवाई है, अब हम अपने क्षेत्र में आकर नहीं बैठेगें, तो क्या मध्यप्रदेश और राजस्थान और हिमाचल में कोई न्योता देगा क्या? सर, हम आपका हर बात मानेगें, पर जब शुरुआत में ही गलत है तो नियम का फॉलो क्यों करें सर। क्षेत्रीय अधिकारी (पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर)– प्रावधान के अनुरुप सर्वसंबंधितों को सूचना दी गई है। श्री अंकुश सिंह–सूचना नहीं मिली है सर, मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, मुझे सूचना नहीं मिली है, मैं झूठ बोल कर क्या साबित कर लूंगा, हम विरोध करेगें सर, हर कार्यवाही में हम सम्मिलित होगें, हम विकास में बाधा नहीं बनेगें सर,लेकिन ग्रामीण का और जनप्रतिनिधि का ही इज्जत नहीं होगा तो किस चीज का विकास सर, ऐसे सम्मान होता है तो हम नीचे बैठेगें सर, सब नीचे बैठेगें, हम जनता के बीच से आये हैं, हम जनता के साथ बैठेगें, आप स्टेज में है हमको कोई समस्या नहीं, आप भी गांव के लिए आये हैं, हम भी गांव के लिए आये है। लेकिन सूचना तक नहीं है, आपके ऑफिस में यदि आपको सूचित नहीं किया जायेगा तो क्या होगा, किस चीज का आपका इज्जत होगा बताईये, हर चीज का सरकार कागज से चलता है, पेपर से नहीं चलता है, किसी दूसरे जिले का प्रतिनिधि नहीं हूं मैं, इसी पंचायत का हूं, मेरा पूरा क्षेत्र लगता है, एटलिस्ट सूचित तो करना चाहिए, कोई भी एक सक्षम अधिकारी होगा, एस.डी.एम. साहब करे, कलेक्टर साहब करें,एक गांव का सचिव भी हो सकता है सुचित करने के लिए, मैं यहां

			स्थान नहीं खोजूंगा तो आप ही बताईये दूसरे प्रदेश में मेरेको जनता मिलेंगें क्या? पेपर दैनिक भास्कर और नई दुनिया से नहीं चलता सरकार, हर चीज का एक लीगल जानकारी होता है, साहब। क्षेत्रीय अधिकारी (पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर)– आप लिखित में भी दे सकते है, सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। पूरा डाक्यूमेंट भारत सरकार को भेजा जायेगा, पक्ष और विपक्ष में दोनों। जो अभिमत रखना है, रख सकते है। व्यक्तिशः सूचना देने का प्रावधान नहीं है सर, नहीं तो व्यक्तिशः सूचना दिया जाता। आपका स्वागत है, आप अपना विचार रख सकते है। श्री अंकुश सिंह– जनप्रतिनिधि को बुला सकते थे आप, जो भी कीजिए,मैं विकास में बाधा नहीं बनूंगा, उस क्षेत्र का जिला पंचायत का प्रतिनिधि प्रोटोकॉल के अधीन आता है, हम नहीं बोलेगें सर, एटलिस्ट एक सूचना तो देना चाहिए था, थोड़ा तो नियम कहता है सर,कौन बोलेगा यहां, मैं मान रहा हूं कि अगर अच्छा होगा, तो मैं खुद आगे बढ़कर एग्री करुंगा, लेकिन सूचना तो होना चाहिए,मैं खुद फोन लगा के थोड़े पूछूंगा कि एस.डी.एम. साहब आप बताईये, अपर कलेक्टर साहब आप बताईये,सर बैठे है आप जो भी सम्मानीय है आप बताईये, लेकिन एक तंत्र होता है, सरकारें तंत्र से चलती है, दैनिक भास्कर और नव भारत में छप गया तो सरकारें उससे नहीं चलती है, न कोई पंचायत से सूचित किया, न कोई एस.डी.एम. ऑफिस से कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं पता कहां से आना चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को बुलाना चाहिए, मेरा छोटा सा मांग इतना ही था बस। क्षेत्रीय अधिकारी (पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर)–पंचायत को सूचित है, उसकी पावती आपको दिखा दी जायेगी। श्री अंकुश सिंह–पंचायत के प्रतिनिधि से पूछे कि सब कुछ पूरा हुआ कि नही, नहीं पूछा गया, मैं सूचना बोर्ड में जाकर नहीं देखूगां,

			जिला पंचायत का प्रतिनिधि बहुत बड़ा होता है सर, मैं नोटिस बोर्ड में जाकर नहीं देखूगां, फिर आप अधिकारीगण बैठ कर, कर लीजिये डिसाईड। एस.डी.एम. साहब, कुसमी, जिला– बलरामपुर –रा.गंज-- व्यक्तिशः सूचना देने का प्रावधान नहीं है यदि आपको कोई भी आपत्ति है प्रोजेक्ट के संबंध में, आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते है, आपकी आपत्ति रिकार्ड हो रही है। दुबारा कथन– सर ये सब डुमरपाट गांव के लोग है, ये सब महिलाऐं, ये लोग अभी लिखित रुप से 108 लोगों का दस्तखत है। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भले ही पास हो गया हो लेकिन डुमरपाट से, अभी एक व्यक्ति पहले बोल रहे थे, इनका जमीन 25 एकड़ फंसा है, इन सुनवाई में उनको तक जानकारी नहीं है, 1, 2 एकड़ का बात नहीं है 25 एकड़ का बात है, अभी लोग आये है विरोध दर्ज कराने, डुमरपाट गांव के है, इनका लगभग ज्यादा क्षेत्र जमीन वहीं का फंसा है, सूचना ही नहीं है तो बताईये वो लोग अपना बात कैसे रखेगें, पक्ष कैसे रखेगें, विरोध कैसे करेगें, सहयोग किस प्रकार से करेगें, आप ही बताईये, जो ग्राम सभा का प्रस्ताव बना है, उसके बारे में ही जानकारी नहीं है, हम लोगों को, सरपंच का लिखित साईन किया हुआ ये लेटर है,मैं आपत्ति प्रस्तुत कर दूंगा, मेरा सुनवाई होगा नहीं होगा मैं किस पर भरोशा करू, आज आप लोग कुछ निष्कर्ष निकाल कर चले जायेगें, हम लोग का आपत्ति, आपत्ति ही रह जायेगा, ये डस्टबीन में चला जायेगा। जीता–जागता उदाहरण सर बालको है, कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूं, 1996 की एग्रीमेंट की कॉपी भी सर मेरे पास है, हिण्डालको के ट्रक के द्वारा यहां गोपातू में ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था 03 लोगों का, उसके एवज में हिण्डालको हास्पिटल तक नहीं भेजा था, इसलिए हम लोग आशंकित है, हम लोग खुद चाहते है कि

			क्षेत्र का विकास हो, 03 लोग का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के द्वारा 02 लोगों की मृत्यू हो गई थी, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, वो मैं गया तो 25 हजार मिला था केवल हास्पिटल में ईलाज कराने के लिए, मतलब 03 लोग की जान की कीमत केवल 25 हजार लगाया था, इन लोगों ने, इसलिए हम लोग आशंकित है, इतनी भारी संख्या में आये है। अभी सीएमडीसी के अधिकारी आयेगें, वन टू वन बात रखेगें, इसलिए मंच रखा गया है। तब इस मुद्दे में आगे बढ़ेगें।
4.	श्री प्रीतम गुप्ता	ग्राम–गोपातू	सर मैं प्रीतम गुप्ता, गोपातू से, यहां की जनसंख्या 1800 है, यहां पर 100 आदमी आए हैं, ऐसा क्या हुआ जो गांव वाले को पता नहीं है, क्यों नहीं आ पाए आदिवासी वर्ग के एक आदमी नहीं है, यहां जितने भी हैं जनरल वर्ग से हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, जमीन धारी एक आदमी नहीं है... सर यहां पर हम लोग माइनिंग के लिए रोक नहीं लगा रहे है, माइनिंग होगी यहां के रोजगार बढ़ेगा, यहां जो स्थानीय लोग हैं, जो 90% यहां के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम यहां खदान चालू कराने देंगे, सर जो लीज एरिया में जितने पंचायत आते हैं उसको आदर्श ग्राम बनाया जाए और पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए, सर। यहां पर पानी का बहुत ज्यादा समस्या है, ढोढ़ी का पानी हम लोग पीते हैं सर बोर बहुत कम है, पानी की समस्या है, पानी की समस्या पर भी सुनाई होनी चाहिए। उसका दिक्कत दूर होगा, स्कूल भी बनाया जाएगा, हॉस्पिटल स्कूल उसके बाद हम लोग यहां माइनिंग करने देंगे, सर। माइनिंग के लिए हम लोग यहां रोक नहीं लगाना चाहते हैं, माइनिंग हो हम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को यहां रोजगार मिले। लेकिन यहां 75 से 90% लोगों को रोजगार मिलेगा तभी हम खदान खोलने के लिए वो करेंगे।
5.	श्री श्वेत चंदन	ग्राम–सामरीपाट	सभी उच्च अधिकारियों को मेरा प्रणाम,सर हमें यहां सर माइनिंग खोलने पर एक बहुत अच्छा गर्व होगा, सर। मेरा नाम श्वेत चंदन है, सर

			और मैं सामरी का रहने वाला हूं, सर। जिस जगह पर माइनिंग होनी है, सर। वहां पर मेरा भी जमीन फस रहा है, तो सर हम लोग यह चाहते हैं कि प्रोडक्शन यहां अगर हो सर तो उस प्रोडक्शन का सर कुछ उत्पाद भी यहां बनाया जाए। कुछ उसका प्लांट स्थापित किया जाए और उसे सर यहां की और डेवलपमेंट बढ़ेगी, सर। यहां की रोजगार बढ़ेगी, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ेगी, बहुत सारे ऐसे विकास होंगे, सर तो सर हम लोग यह चाहते हैं कि आज से 25 साल हिंडालको कंपनी बॉक्साइट उत्खनन करने वाली कंपनी है वह भी आई हुई है सर वह भी अपनी एग्रीमेंट में तरह–तरह के वादे किए हैं। लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं होता है, सर और वादा जब पूरा नहीं होता है सर हम प्रशासन से या फिर पर्यावरण क्षति जहां पर हो रही है। हम उनसे सुनवाई कराने के लिए जाते हैं सर तो हमें सहयोग नहीं मिलता है। सर तो हम चाहते हैं कि जो भी कंपनी वादे करेगी, सर। उस चीज को पूरा करेगी जैसे सर यहां 90% लोग स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कहीं गई थी लेकिन सर आज हमारे क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या भयानक है सर बाहर जैसे झारखंड क्षेत्र के लोगों को ला करके यहां नौकरी दिया जा रहा है, सर। लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन का मामला बड़े हॉस्पिटल का मामला बड़े एनवायरमेंट जो भी कंडीशन है, उसको कंटिन्यू परमानेंट बराबर रखे सर, सुबह देखते हैं हम लोग जो जंगल था रात में वह गायब हो चुका है, रात–रात भर मशीन चल रही है सर, 5:00 बजे के बाद परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जंगल चलती है उसको कोई सुनने वाला नहीं है सर तो यह सब को ध्यान में रखते हुए माइनिंग हो सर हमको कोई तकलीफ नहीं है। परंतु यहां के रोजगार संबंधी विषय को मुख्य रूप से रखा गया, सर। ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके। हम सभी युवा यही चाहते हैं कि 90% लोग यहां के रखे जाएं, धन्यवाद सर।

			दुबारा कथन– मैं श्वेत चंदन यादव ग्राम सामरी से यह जो हमारा क्षेत्र है, सर। कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हम सीएमडीसी यह चाहेंगे कि कृषि को विशेष ध्यान में रखकर यहां जो छोटे बड़े नदी नाले हैं। वह सब पर डैम वगैरह का निर्माण कर दे ताकि यहां के कृषक के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और उन लोगों का कंपनी खोलने से लाभ मिले। बॉक्साइट यहां जो भी उत्पादन होगी यहां बहुत बड़ी क्षेत्र में मैक्सिमम मिट्टी पर बॉक्साइट छुपी हुई है, तो हम यह चाहते हैं कि अगर बॉक्साइट से जो भी चीज बनती है एलुमिनियम अगर उसकी भी फैक्ट्री लग जाए, तो बहुत ही ज्यादा यहां के लिए शुभकामना हो जाएगी।
6.	श्री विक्रम गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मेरा नाम विक्रम गुप्ता है, हमें जमीरापाट का रहने वाला हूं, सर। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि रोजगार में हमारे ग्रामवासी को ही प्राथमिकता मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रामवासी में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सबसे पहले प्राथमिकता ग्रामवासी को ही मिलना चाहिए, धन्यवाद।
7.	श्री दीपक गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं ग्राम पंचायत जमीरापाट का रहने वाला हूं, यहां बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिस को रोजगार मिले, बाकी सीएमडीसी का स्वागत है, हमारे पंचायत में धन्यवाद।
8.	श्री राम गणेश यादव	ग्राम–सामरीपाट	हम लोग यहां पर आए हैं, युवा बेरोजगार। हम लोग यहां पर रोजगार के लिए आए हैं, मैं चाहता हूं कि हम सभी बेरोजगार को आप रोजगार की सहमति दे। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, मैं यही बोलूंगा कि उन को रोजगार दिया जाए।
9.	श्री अरविन्द गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	अरविंद गुप्ता, ग्राम जमीरापाट का रहने वाला हूं, यहां पर सभी बेरोजगारी का मुद्दा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत, जमीरापाट मतलब जो जितने जानकार युवक हैं, ग्रैजुएट एंड पोस्टग्रेजुएट है उन्हें शैक्षणिक योग्यता के

			अनुसार पहले उनको प्राथमिकता देना चाहिए, उसके बाद कौन से लेवल में है कहना चाहिए, पोस्टग्रेजुएट है उन्हें अच्छा काम देना चाहिए, सुपरवाइजर या जो भी पोस्ट हो उन्हें योग्यता के अनुसार उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको मतलब जॉब प्रोवाइड किया जाए, उन्हें प्रथम प्राथमिकता दिया जाए, जो ग्राम पंचायत जमीरापाट के निवासी है धन्यवाद।
10.	श्री जितेन्द्र गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मैं जितेंद्र, ग्राम पंचायत जमीरापाट का ही स्थाई निवासी हूं, और हमारे बीच आए हुए आज के सब अधिकारीगण एवं हमारे युवा साथी एवं हमारे गांव के सज्जन सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है। देखिए यहां पर सीएमडीसी का खदान खोलने में आपत्ति नहीं है, बात यह है यहां की जो मांगे हैं, वह सारी मांगे पूरी हो जैसे कि मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा, निश्चित रूप से यही के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं को मिलना चाहिए, हमारे ग्रामवासियों को और दूसरी यह है सर्व सुविधा युक्त हाइटेक हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि हमको मजदूर संघ के भाई को या मीडियम ग्रेड के भाई को या हमारे बड़े जो भी है। गांव के उनको किसी भी बीमारियों का सामना यह कष्ट उठाना ना पड़े, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की सुविधा हो अच्छे से अच्छे एमडी बैठे हैं, डॉक्टर बैठे सारी चीज की सुविधा होना चाहिए, ताकि हम को दिक्कत ना हो, आने वाले भविष्य में और यहां एजुकेशन की बहुत कमियां हैं। बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग है, बहुत दिक्कत है यहां पर कोई इस टाइप से स्कूल नहीं है कि हमको अच्छे से अच्छे सुविधा और एजुकेशन प्राप्त हो सके, ताकि हमारी बच्चों का हमारे भाइयों का भविष्य उज्जवल हो सके, ऐसा कोई स्कूल हुआ नहीं है। आज तक खोला नहीं है, इसलिए हमारे गांव में ही एक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी तक स्कूल होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि खेलकूद कमी है, यहां खेल में यहां की भाइयों को रुचि है, स्पोर्ट्समैन है, खेल मैदान होना चाहिए, एक स्टेडियम बनना चाहिए, और ग्राम के सभी मोहल्ले में पेयजल का व्यवस्था किया जाए,

			क्योंकि पेयजल का समस्या बहुत भारी है, यहां चौथी दूसरी बात यह है मेन रोड जमीरापाट, जहां पर बॉक्साइट उत्खनन होगा, वहां तक की सड़क व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे रोड बनने चाहिए, ताकि प्रदूषण ना हो, डबल रोड और जहां से माइनिंग परिवहन हो, वहां से क्रॉस होगी, उसे बाइपास रास्ते से निकाला जाए, जिस तरीके से हमारे यह मांगे हैं, लिखित में भी देना चाहूंगा और हमारे मजदूर संघ के लिए खदान में जब जिसे खुल जाता है, तब की स्थिति में खदान में कैंटीन की व्यवस्था हो और दिन का खाना हो ताकि दिक्कत परेशानी खाने में ना हो, कोई भाई हमारे भूखे ना हो, इसके चलते कैंटीन का भी सुविधा होना चाहिए और कैंटीन सुविधा में हमारी एक ग्राम समिति हो उसको हम गठित कर लिए हैं, वही लोग संचालन करेंगे और सबसे विशेष बात यह है हमारे वातावरण को भी देखते हुए हमारे प्राकृतिक जो है पेड़ पौधा है जंगल है उसमें माइनिंग ना किया जाए, ताकि हमारा वातावरण खराब ना हो और यहां के भूमि स्वामियों को भूमि के सही मुआवजा का जानकारी और सीएमडीसी से मिलने वाली योजना का पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। ताकि सब योजना को लाभ उठा सकें, तो इतना ही सारी चीजें हैं और अच्छे से अच्छे फैसिलिटी हो, सब चीज हो उसके बाद हम लोग बॉक्साइट परिवहन को या खदान खोलने से कोई आपत्ति नहीं है। यह सब हमारी मांगे पूरी हो, इसके बाद आगे के लिए सोचा जाएगा, धन्यवाद। इतना ही मेरा कहना है और लिखित में देना चाहूंगा सर। दुबारा कथन– हमारे गांव के भाईयों से एक निवेदन करना चाहूंगा,अपना विचार व्यक्त करें, सीएमडीसी अगर हमारे गांव में माईनिंग के लिए सक्सेस हो जाती है, सभी को रोजगार मिल जाता है, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई ग्रामवासी को कोई दिक्कत है और हमारे गांव में जितना भी कमी बेसी जो भी है समास्या , वो सारी मांगे हमारी पूरी हो जाये, तो कोई आपत्ति है क्या? हाथ खडा कीजिये दिक्कत है

			तो किसी को, किसी को कुछ बोलना है तो बताईये, हमारे ग्राम के लोगों को बोल रहा हूं, विशेष स्थानीय लोगों को, तो हमारे दीपक भैया जी, आप अपना विचार व्यक्त करना चाहते है तो बोल सकते है।
11.	श्री उत्तम गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मेरा नाम उत्तम गुप्ता है, जमीरापाट का निवासी हूं, माइंस खुले, अच्छा बात है और सब को रोजगार मिले, उसके बाद रोड बने, प्रतिदिन पानी पटे, अस्पताल खुले और सब को रोजगार मिले, ठीक है, सर।
12.	श्री सुदर्शन गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मैं जमीरापाट का रहने वाला हूं, सर हम लोग जानना चाहते हैं, सीएमडीसी जो कंपनी खुल रही है, वह हमारे लिए क्या करेंगे, सर बताने का कष्ट करेंगे, हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं, सर।
13.	श्री सुदीप कुमार यादव	ग्राम–सामरीपाट	सर, मैं सुदीप कुमार गुप्ता, सामरीपाट का निवासी हूं, सर सीएमडीसी का मैं स्वागत करता हूं यहां जो भी जितने भी अधिकारी सबका स्वागत करता हूं, सर यहां पर आप लोगों को भी जानकारी होगी। यहां पर हिंडालको कंपनी चल रही है। बॉक्साइट का 1996 में उन्होंने चालू किया था। एग्रीमेंट भी किया था जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से आज तक 20% ही काम हो रहा है, सही ढंग से, 80% फेल है और आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी आप लोग और एग्रीमेंट करेंगे, जितना भी एग्रीमेंट करेंगे सभी को आप लोग संपूर्ण रूप से हम लोग... आज तक रिकॉर्ड में रखे हुए हैं, 20% ही बस काम करती है 80% फेल है, कंपनी जैसा कि हिंडालको कंपनी जिस ठेकेदार को देती है वह भी हम लोगों का गांव जितने भी ग्राम निवासी हैं परेशान करके रखे हैं तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी कंपनी को आप क्यों के ठेकेदार को देते हैं आप पेटी कांट्रेक्ट में काम और यह भी है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट को काम नहीं दिया जाएगा और जितने भी एग्रीमेंट करेंगे, वह सभी जो एग्रीमेंट करेंगे सभी का लाभ मिलना चाहिए, हम लोगों को और जितने हमारे अभी बेरोजगार संघ है, कम से कम 400 लोग आए हैं, बेरोजगार संघ के ठीक है। वह सिर्फ सामरी एरिया के सिर्फ सामरी के हैं और

			आपसे अनुरोध करूंगा सीएमडीसी से ग्रेजुएशन के हिसाब से काम दिया जाए, सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है की पेड़ की कटाई होती है हमारे पाठ में, जो भी कंपनी आती है सभी पेड़ काटते हैं, रेवेन्यू के जितने फॉरेस्ट के जितने चाहे छोटे झाड़ बड़े झाड़ काट दिया जाता है, जो लगाने के बात किया जाता है लेकिन नहीं होता है, सर। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी कंपनी में लेबर हो, मुंशी हो, मैनेजर हो, जो भी कंपनी में काम करेंगे उनके लिए एक अलग से बीमा की तरह, जो भी होता है, एक्सीडेंटल जो कंपनी हिंडाल्को नहीं देती है, जो भी एक्सीडेंटल होता है ना उसमें लोगों के द्वारा मतलब क्या बोलना चाहिए जुगाड़ करके ऐसे वैसे करके 20–25 हजार में एग्रीमेंट हटा दिया जाता है, जो कि लोगों को लाभ नहीं मिलता है, आप लोगों का नहीं होना चाहिए और सभी चीज का रोड हो माइंस का सेफ्टी हो, आप लोग ध्यान रखते हुए आप लोग काम को चालू कीजिए।
14.	श्री जगेश्वर नगेशिया	ग्राम–जमीरापाट	विरोधी पार्टी आइए रहा है, अपना माइंस खोलने का जगह है, वह लोग आइए रहा है, इतना बोल कर मैं, नमस्कार।
15.	श्री अमीत गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	सर मेरा नाम अमित गुप्ता है, ग्राम जमीरापाट का निवासी हूं, सर यहां जो जवाब दिया जाएगा, उसकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो महीना काम किए उसके बाद निकल दिये गए पर जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे 2 महीना काम हुआ नहीं की फिर उसके बाद कंपनी बंद हो जाए। मतलब नहीं खुलती है, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए।
16.	श्री संजय यादव	ग्राम–जमीरापाट	गुड मॉर्निंग सर, मैं संजय यादव, जमीरापाट से, मेरा खेती–बाड़ी है, सर। मैं यहां पर जितने उपस्थित लोगों से हम लोग हिंडालको से जुड़े भी हैं, हिंडालको कंपनी यहां बहुत दिनों से काम कर रही है, करीब दो से ढाई हजार लोगों को रोजगार भी दी है और मैं सीएमडीसी और जो शासन प्रशासन के आदमी आए हैं, उन सभी से निवेदन करता हूं रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी सीएमडीसी जो कि 965300

			टन प्रतिवर्ष का लेकर काम करना चाहती है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसा मेरा उम्मीद है और मैं बस यही कहूंगा कि इस क्षेत्र के जितना लोग बाकी बचे हैं, रोजगार से उनको बहुत हद तक रोजगार देने का प्रयास करना है, आप सभी को जैसा कि बहुत वक्ताओं ने कहा कि योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, योग्यता बहुत तरह का होता है, जैसे कुछ हमारे लोग हैं जो मशीनरी चलाना जानते हैं,डंपर चलाना जानते हैं, मशीन चलाते हैं, जो नहीं चलाते हैं, उनको हेल्पर वर्क में उनको और स्किल डेवलप करना है, यानी कि मैं सब बातों को अगर बोलो कि सीएमडीसी कहने से हमारे यहां जो लोग रोजगार चाह रहे हैं जो अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड करना और स्किल डेवलपमेंट में विशेष ध्यान देते हुए कंपनी को इस क्षेत्र के हर चहुमुखी विकास की ओर ले जाना है, इस क्षेत्र के रोड के समस्या हो या पानी का हो या बिजली का समस्या हो सभी समस्याओं को आप सब एड्रेस करते हुए सभी लोगों को यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और जहां तक मैं समझता हूं कि हिंडालको कहने से जैसा मैंने कहा 2000 से 2500 लोगों को रोजगार मिला है, यह कंपनी भी आई है मेरे को लगता है 2000से 3000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार यहां पर मिलेगी, जो जैसा रहेगा जैसे काम रहेगा वैसा उसको देने का प्रयास करेंगे, सर थैंक यू।
17.	श्रीमती तारा तिग्गा	ग्राम–जमीरापाट	आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम तारा तिग्गा है, ग्रामवासी जमीरापाट, कुछ लड़कियों के लिए भी कुछ चाहिए, जॉब योग्यता अनुसार और बाहर का आदमी हम लोग एलाऊ नहीं करेंगे, जैसे हमारे गांव में खुल रहा है तो हम ही लोग करेंगे ऐसा नहीं है कि गांववासी पढ़े–लिखे नहीं है हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लड़कियों के लिए रोजगार चाहिए तो चाहिए, बाहर का आदमी हम लोग एलाऊ नहीं करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो खोलने नहीं देंगे हम लोग माइंस धन्यवाद।

			दुबाारा कथन– मेरा नाम तारा तिग्गा है, मैं एक बार और बोल चुकी हूं सर, यह कहना चाहती हूं कि हमारे गांव में ज्यादा आदिवासी हैं, तो आदिवासी को भी ज्यादा ध्यान दिया जाए, योग्यता अनुसार जैसे पढ़े लिखे हैं वैसी मतलब रोजगार मिलना चाहिए, आदिवासियों को यह नहीं है कि आदिवासी पिछड़ा रह जाए.. मिलेगा ना?
18.	श्री चंदन कुमार गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	माय सेल्फ चंदन कुमार गुप्ता, ग्राम जमीरापाट, सर सीएमडीसी जो कंपनी है आ रही है अगर हम को सभी सुविधा देती है तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, सर और रही बात योग्यता की योग्यता में सर यहां पर हम एमएसडब्ल्यू पीएचडी होल्डर तक भी है, अगर बाहर से आप बुलाते हैं मान लीजिए बड़े अधिकारी में अगर हम उस योग्य का पढ़ाई किए हैं तो पहला प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, सर। काहे की जिस फील्ड में आप देखे यहां योग्यता वह हर फील्ड में आपको मिलेगी और दूसरी बात पर सीएमडीसी का एजेंडा क्या है, वह क्या लाभ देती है, हम तो मांगे बहुत रखेंगे। लेकिन आपकी क्या है यहां हमको बताइए कि आप देंगे क्या और इस गांव के स्थानीय लोगों में पहली बात तो स्थानीय लोगों मैं बहुत लोग बेरोजगार हैं, उन को रोजगार दिया जाए, पहले जमीरापाट में खासकर उसके बाद यहां के आदमी पूरे अटैच हो जाते हैं। रोजगार में हो जाते हैं तो आसपास के गांव को भी आप रोजगार दें सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। रोजगार के लिए, लेकिन यहां पर सभी पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएशन बेस्ड एमएससी बेस्ड पीएचडी होल्डर आपका 10वीं 12वीं पूरे के पूरे बाकी पहले के आदमी नहीं पढ़े थे। लेकिन इस स्तर में जो नए युवा पीढ़ी हैं। वह सभी पढ़ें हैं तो पहला प्राथमिकता हमको वह चाहिए और जो बाहर से पर आप जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी बुलाते हैं और उस बेस से हम अगर पढ़ाई किए हैं तो उस बेस का पढ़ाई हम लोग का पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए बाकी सर सीएमडीसी का एजेंडा बता दीजिए क्या–क्या लाभ आप हमें

			देंगे क्या क्या इसकी शर्ते हैं। उसके बाद कुछ नहीं धन्यवाद। दुबारा कथन– मैं चंदन कुमार गुप्ता, जमीरापाट से, हम लोग का जितना सवाल था, सर। उतना कम्पलीट चुका है, अगर आपके बातों से सवाल उठता है तो हम लोग दुबारा सवाल पूछेगें। हम जितना सवाल कर चुके है, आप उनका जवाब दीजिए, हम सब सुनना चाहते है सर। आप लोग का सुविधा है, जो रहेगा सर, हम लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग का स्वागत करते है, इसमें कोई बाधाऐं नहीं है। कोई रोक–टोक नहीं है। बाकी हमको मिलती है, रोजगार तो। हम लोग कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगें। सर अगर सीएमडीसी खुल जाता है, तो इसका पेमेंट का मैथेड भी बता दीजियेगा, जो आपकी कम्पनी है मैनपाट में, वहां से अफवाह उड के आ रही है कि पैमेंट कम है, ये सब का जानकारी भी चाहिए सर, ये सब जानकारी आप लिखित में दें, बाकी जो कोरोना काल हो जाता है सर, कम्पनी रुक जाती है, तो पैमेंट रोक दिया जाता है, तो सर ऐसा न हो, कोरोना काल भी आये, तो हम लोग का पैमेंट आना चाहिए।
19.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मैं सर नीरज कुमार गुप्ता, ग्राम जमीरापाट का निवासी हूं, जिस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ–साथ यहां जो भी प्राप्त होगा, जैसे बीमा वगैरह उनका स्कूल वगैरह और आप हॉस्पिटल वगैरा इन सभी का एजेंडा बताएं और योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। मैं बस इतना ही आपसे चाहता हूं।
20.	श्री दीपू कुमार गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मेरा नाम दीपू कुमार गुप्ता है, मैं ग्राम जमीरा पाट का निवासी हूं, मेरा कहना बस यही है। यहां खुल रहा बॉक्साइट अच्छी बात है। लेकिन यहां योग्यता के अनुसार जॉब सबसे पहले यहां की स्थानीय ग्राम जमीरापाट के लोगों को दिया जाए और योग्यता के अनुसार उन्हें जॉब दिया जाए।

21.	श्री नंदलाल गुप्ता	ग्राम–जमीरापाट	मेरा कहना है कि किसी का जमीन को बर्बाद ना किया जाए, यदि कुछ भी उसमें बर्बाद होता है। उस पर तुरंत अमल किया जाए और तुरंत उसको बनवाया जाए और किसी का फसल बर्बाद नहीं होना चाहिए और बर्बाद होगा तो, माईन फिर बंद किया जाए, मैं इसी गांव का निवासी हूं और मैं किसान आदमी हूं।
22.	श्री भुनेश्वर	ग्राम–गोपातू	मैं बोल रहा हूं भुवनेश्वर, गोपातू से, मैं यह कह रहा हूं कि हमारे पाट में खदान खुल रहा है, तो भाई लोग का जिसका नाम नहीं लिखा रहा है, उसका लिखना चाहिए और काम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम लोग के पाट में अगर खोल रहा है, खदान तो हम लोग लाभ लेंगे ठीक है कि नहीं है।
23.	श्री उमेश पाण्डेय	ग्राम–जमीरापाट	आदरणीय कलेक्टर महोदय, आगंतुक सभी विभागीय अधिकारी एवं जनता जनार्दन सभी को प्रणाम है, मैं उमेश पांडे, ग्राम पंचायत जमीरापाट से हूं, बगल पड़ोसी पंचायत सामरी में जो माइंस खुला है। उससे बहुत सारे पब्लिक को नौकरी मिल चुकी है कुछ जो बाकी है, ग्राम पंचायत जमीरापाट में माइंस खोलने से उनको रोजगार मिल जाएगा, इसमें हम सभी को माइंस खोलने से आपत्ति नहीं है, हम सहमत हैं माइंस खोलने के बाद जो यहां सर्व सुविधा ग्राम पंचायत होना चाहिए, जो मरीज, पेशेंट जो है बीमार पड़ने के बाद जो रेफर योग्य हैं उन्हें अंबिकापुर या बलरामपुर ले जाने का सुविधा हो, निशुल्क सुविधा हो, गांव में पेयजल की सुविधा हो, जगह जगह पर शौचालय स्नान गृह का व्यवस्था हो, जो माइंस खुलेगा जो रोड बनेगी उसमें जाने के लिए पक्की सड़क हो, क्योंकि जो पैदल चलते हैं पानी का छींटा पड़ता है बरसात में, उसी स्थिति में उन्हें ऐसा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, की आने जाने में पैदल कष्ट ना हो। जी सर, धन्यवाद।

7 उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अनुविभागीय दण्डाधिकरी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब अनुविभागीय दण्डाधिकरी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

8 परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री पी.एस.यादव, मुख्य महाप्रबंधक एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय, डी.जी.एम, सीएमडीसी द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया,जो कि निम्नानुसार है :-

- श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय डी.जी.एम (सीएमडीसी)–मै सीएमडीसी रायपुर से आया हूं। यहां उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। मैं पुनः विस्तृत रूप में बताता हूं। सीएमडीसी छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है। ग्राम जमीरापाट, तह.–कुसमी, जिला–बलरामपुर (छ.ग.) में स्थित है, यह टोटल भूमि निजी है। कलेक्टर द्वारा जो दर निर्धारित की जायेगी, उसके अनुसार मुआवजा माईनिंग प्लान के अनुसार दिया जायेगा। भूमि का समतलीकरण कर किसानो को वापस कर दिया जायेगा। भूमि सहमति के आधार पर ली जायेगी, भू स्वामी चाहेंगे तो वृक्षारोपण कर वापस किया जायेगा। सीएमडीसी, राजस्व विभाग को दर के आधार पर भुगतान करेगा और राजस्व विभाग भू स्वामी को भुगतान करेंगे। मूलभूत संरचना और दूसरी विकास की बात है। शासन मद में रॉयल्टी, जीएसटी एवं अन्य जो भी निर्धारित होगा। उसका भुगतान सीएमडीसी द्वारा किया जायेगा। 2% (प्रतिशत) जो सीएसआर का है, वो भी सीएमडीसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा रोड, स्कूल, खेल मैदान, पेयजल, बिजली आदि विकास कार्य किये जायेंगे। जिसकी जमीन जा रही है, पहली प्राथमिकता उनकी होगी और दूसरी प्राथमिकता उस गांव की होगी, उसके बाद उस ग्रामपंचायत की होगी और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे, वैसे रोजगार बढ़ेगा। रोजागार अधिनियम के तहत् रोजगार दिया जायेगा। समिति का गठन किया जायेगा उनके अनुसार जहां जहां बोलेंगे वहां वृक्षारोपण किया जायेगा। समतलीकरण किया जायेगा और प्लांटेशन किया जायेगा।
- श्री पी.एस.यादव, मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडीसी) –दर निर्धारण जिला प्रशासन से किया जाता है और आपसे सहमति ली जायेगी। यदि आप चाहते हैं कि जमीन को वापस कर दिया जाये, तो वापस कर देंगे और प्लांटेशन वहां करते है, जहां पंचायत हमको जमीन देती है। डस्ट के

नियंत्रण हेतु जल छिड़काव करेंगे, पर्यावरण पर प्रभाव न पड़े इसके लिए ईएमपी दिये गये अनुसार कार्य करेंगे। जबरदस्ती क्यों करेंगे, प्रजातंत्र है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो करेंगे आपकी सहमति से ही करेंगे।

- ग्रामीण– जो अपनी जमीन रास्ता बनाने के लिए नहीं देना चाहता है ?
- श्री पी.एस.यादव, मुख्य महाप्रबंधक (सीएमडीसी) –आपकी सहमति के अनुसार ही कार्य करेंगे।
- ग्रामीण– हम कुछ कहना चाहतें हैं ? आप लिखित में दे दीजिए। हम उसका जवाब देंगे। देखिए सर, यहां जितना भी क्षेत्र होगा माईनिंग का, सबसे पहले अस्पताल बनाया जाये। पिछले कई सालो से देख रहें हैं, सर। यहां हिण्डालको माईनिंग कर रहा है। अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। क्षेत्र में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। जैसे सामरी में करवाया गया है। हिण्डालको के द्वारा उसको भी करवाया जाये। सभी मोहल्ले में पीने के पानी की उचित व्यवस्था, जमीरापाट में के बाक्साईट से प्रभावित क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सड़क का निर्माण किया जाये। सभी मोहल्ले, टोले में स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये, पंचायत स्तर के लोगों को माईन क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाये। बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये प्राथमिकता के आधार, प्रमुख बात है जो बिंदु 14 में स्थानीय लोगों को सलाह मसौरा करके भविष्य के लए नौकरी में प्राथमिकता दी जाये।
- श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय डी.जी.एम (सीएमडीसी)–ग्रामपंचायत से सामंजस्य कर शासन के निर्देशानुसार कार्य किये जायेंगे। ग्रामीण– सर जो यहां पर हल्ला कर रहें है वे जमीरापाट के नहीं है। श्री पी एस यादव– यह छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है। पहला प्राथमिकता उसको जिसका जमीन और मकान दोनो जा रहा है। पहली प्राथमिकता उसको, दूसरी प्राथमिकता जिसकी जमीन हो या जिसका मकान हो उसको, तीसरा जो इस पंचायत का हो उसको, चौथा जो जिले का हो, ये प्रावधान है रोजगार देने का। यह छत्तीसगढ़ शासन की नीति है, मेरी नीति नहीं है। जैसी जिसकी योग्यता होगी उस प्रकार रोजगार मिलेंगे। एक समिति बनायेंगे और समिति के माध्यम से सब कुछ करेंगे। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के जो उपाय होंगे वे सब हम करेंगे। सारे प्रश्न जो आपने उठाये थे, उसका जवाब मैंने दे चुका हूं। लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों आपत्ति/विचार/सुझाव पर परियोजना प्रस्तावक से लिखित में अंग्रजी तथा हिन्दी जवाब भी प्राप्त हुआ।

परियोजना प्रस्तावक के जवाब उपरांत अनुविभागीय दण्डाधिकरी, कुसमी, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.) द्वारा ग्रामवासियों के शांतिपूर्वक पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया गया, ग्रामवासियों के द्वारा

टीका टिप्पणी सुझाव प्रस्तुत किया गया, आने वाले दिनो में भी ग्रामवासियों की जो भी समस्या रहेगा। उसका निराकरण प्रशासन के द्वारा और परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से भी उसका हल करने का प्रयास किया जायेगा, निश्चित रूप से जो समस्या रहेगा, समय समय पर उसका हल किया जायेगा। आप सभी लोगों ने पर्यावरण जन सुनवाई में सहयोग दिया, भाग लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के साथ अनुविभागीय दण्डाधिकरी द्वारा लोकसुनवाई की कार्यवाही समापन/समाप्ति की घोषणा की गई। लोक सुनवाई कार्यवाही की प्रक्रिया अपरान्ह लगभग 01:15 बजे को समापन/समाप्त हुई।

9. लोक सुनवाई के दौरान उक्तानुसार कुल 23 वक्ताओं/व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/ विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के पूर्व कोई सुझाव/ विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई। लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां 05 प्राप्त हुई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 900 व्यक्ति आरम्भ से समाप्ति तक उपस्थित थे, जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 300 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी के साथ फोटोग्राफी की गई।

22/12/22

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
अंबिकापुर, (छ.ग.)

अनुविभागीय दण्डाधिकरी,
कुसमी, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)